

Name of Project: - "Forest Land Diversion proposal for "Improvement and Up-gradation to 4-lane configuration of Meerut-Nazibabad section of NH-119 between Km 39+165 to Km 78+635 (Km 66+500 to Km 78+635 in District Bijnor)" in the state of Uttar Pradesh.

" प्रस्तावित वन भूमि की एन०पी०वी० (शुद्धवर्तमान मूल्य) की गणना

• वन भूमि के शुद्धवर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की गणना-

1	हरियाली घनत्व -	0.6
2	इको क्लास श्रेणी -	I (Tropical Moist Deciduous Forest)
3	एन०पी०वी० की दर प्रति है -	1436670 lac per ha.
4	वन्य जीव विहार के अन्तर्गत स्थित वन भूमि का क्षेत्रफल-	10.0058 ha
5	वन्य जीव विहार के बाहर स्थित वन भूमि का क्षेत्रफल-	1.1172 ha
6	आवेदित वन भूमि का कुल क्षेत्रफल -	11.1230
7	वन्य जीव विहार के अन्तर्गत स्थित वन भूमि की देय धनराशि-	10.0058*1436670*5 = रूपये 71875163.4
8	वन्य जीव विहार के बाहर स्थित वन भूमि की देय धनराशि	1.1171*1436670 = रूपये 1604904.06
9	कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि	71875163.4+1604904.06 = रूपये 73480067.5 या रूपये 73480068 (सात करोड़ चौतीस लाख अस्सी हजार अड़सठ रुपये मात्र)

नोट - उपरोक्तानुसार एन०पी०वी० की दरे मात्र वन भूमि पर प्रस्तावित की गयी है किन्तु उत्तर प्रदेश शासन वन अनुभाग 2 लखनऊ के शासनादेश के बिन्दु संख्या -4 के अनुसार राष्ट्रीय वन्य जीव उद्यान तथा वन्य जीव विहारों की सीमा के अन्तर्गत स्थित गैर वन भूमि की उपयोग की अनुमति निकटवर्ती वन भूमि पर देय शुद्ध वर्तमान मूल्य की समस्तुल्य धनराशि के भुगतान के आधार पर स्वीकृति किये जाने का उल्लेख है साथ बिन्दु संख्या-7 के अनुसार उक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 28.03.2008 एवं 09.05.2008 से 03 वर्ष तक के लिए है ऐसी दशा में वन्य जीव विहार की सीमा के अन्तर्गत स्थित गैर वन भूमि की एन०पी०वी० प्राकलित नहीं की गयी है। यदि इसमें कोई संशोधन हो तो तदनुसार एन०पी०वी० याचक विभाग के स्तर से देय होगी।


सरोज सिंह रावत
क्षेत्रीय वन अधिकारी
बिजनौर

उप प्रभागीय निदेशक
सां. धा० प्रभाग, बिजनौर

20/3/23
(संतोष कुमार बाजपेई)
परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
पी०आई०एन०सी०
National Highway Authority of India
PIU-Meerut
अरुण कुमार सिंह
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर